कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com
Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1825 / FP/UK/ROAD/23445/2017:देहरादूनः दिनांकः 31 जनवरी, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नौगांव–पुरोला मोटर मार्ग के किमी0 2.00 से थली गांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 11.6735 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन के संबध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र सं0–08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 109 / 2018 / एफ0सी0 / 153 दिनांकः–29.04.2019।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार के द्वारा विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसकी अनुपालन आख्या उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग,पुरोला के पत्र संख्या–2135 / 12–1 दिनांक 19.01.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के पत्र –1571 / 12–1, दिनांक–20.01.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की गयी है:–

क्र० स०	शर्त	अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 23.347 है0(19.1620है0 अपर यमुना, नालुका तोक, ग्राम थली एवं 4.185 है0 फॉरेस्ट डिविजन) है0 ग्राम– नालुका तोक, ग्राम थली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग,पुरोला के पत्र संख्या–2135 / 12–1 दिनांक 19.01.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के पत्र –1571 / 12–1, दिनांक–20.01.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग–3 संख्या–1047 / x-3-22/14(02)/2021 भाग–1 देहरादून दिनांक 10.10.2022 को 19.162 है0 आरक्षित वन भूमि एवं उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग–3 संख्या–130 / x-3-22/1(136)/2018, दिनांक 21.12.2022 को 4.185 है0 क्षेत्रफल संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। (प्रति संलग्न–01,02)
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक संख्या–5–3 / 2007–एफसी दिनांक–05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग,पुरोला के पत्र संख्या–2135 / 12–1 दिनांक 19.01.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के पत्र –1571 / 12–1, दिनांक–20.01.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक संख्या–5–3 / 2007–एफसी दिनांक–05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा कर दी गयी है। (संलग्नक– 03)
3.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरें में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वार वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला के पत्र संख्या–2135 / 12–1,दिनांक 19.01.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के पत्र –1571 / 12–1, दिनांक–20.01.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरें में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वार वचनबद्धता संलग्न कर प्रस्तुत है। (संलग्न–04)

3/2

4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक संख्या–5–3/2007–एफसी दिनांक–05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां (CA cost,NPV etc) को वैब पोर्टल पर ऑन लाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑन लाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।	उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग,पुरोला के पत्र संख्या–2135/12–1 दिनांक 19.01.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के पत्र –1571/12–1, दिनांक–20.01.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक संख्या–5–3/2007–एफसी दिनांक–05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा कर दी गई है। (संलग्न–05)
5.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां जहां संभव हो सड़क के दोनो किनारों तथा central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग,पुरोला के पत्र संख्या–2135/12–1 दिनांक 19.01.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के पत्र –1571/12–1, दिनांक–20.01.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहां जहां संभव हो सड़क के दोनो किनारों तथा central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचनबद्धता संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्न–06)
	अन्य शर्तेः–	
6.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त संख्या–06 का अनुपालन किया जाएगा ।(संलग्नक–07)
7.	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
8.	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 23.347(19.1620 है0 अपरं यमुना एवं 4.185 है0 फॉरेस्ट डिविजन) है0 ग्राम– नालुका तोक, ग्राम थली भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंर्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोड़ल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	उत्तराखण्ड़ शासन वन अनुभाग–3 संख्या–1047/X-3-22/14(02)/2021 भाग–1 देहरादून दिनांक 10.10.2022 को 19.162 है0 आरक्षित वन भूमि एवं उत्तराखण्ड़ शासन वन अनुभाग–3 संख्या–130/X-3-22/1(136)/2018, दिनांक 21.12.2022 को 4.185 है0 क्षेत्रफल संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। (संलग्न–1,02)
9.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।(संलग्नक–08)
10.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमाकंन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।(संलग्नक–09)
11.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जाएगी। (संलग्नक–06)
12.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिये रसोई/ कैरोसिन तेल के आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों की क्षति न पहुँचे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।(संलग्नक–10)
13.	परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।(संलग्नक–11)

	पहुचांयी जायेगी।	
14.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ट्रान्सफर नहीं किया जाएगा।	उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग,पुरोला के पत्र संख्या–1751/12–1 दिनांक 14.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। (संलग्नक–12)
15.	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 507(Upper Ymuna FD-313 & Tons FD-194) से अधिक न हो	उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग,पुरोला के पत्र संख्या–1751/12–1 दिनांक 14.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 507 से अधिक नहीं होगी।(संलग्नक–13)
16.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। (संलग्न–14)
17.	यदि कोई अन्य संबधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायलय/आदेश/अनुदेश अदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है। तो उनके अधीन जरूरी अनुममि लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। (संलग्नक–15)

अतः प्रश्नगत प्रकरण में उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग,पुरोला के पत्र संख्या–2135/12–1 दिनांक 19.01.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

31.01.23

(एस0एस0रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,

वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून।

संख्या : 1825 / FP/UK/ROAD/23445/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग,पुरोला के पत्र संख्या–2135/12–1 दिनांक 19.01.2022 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

2.प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0 पुरोला(उत्तरकाशी)।

(एस0एस0रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,

वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून।